न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रणव सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 148/2021

उनवान

1. देवजी पिता हेमा डामोर जाति भील निवासी चितरोडिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज) ।

—: प्रार्थी।

बनाम

1. कमला उर्फ कमा पत्नि रावजी जाति भील निवासी चितरोडिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
2. सकु पत्नि भेरा जाति भील निवासी चितरोडिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)
3. तहसीलदार तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.)।

—: अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 राजस्थान उपनिवेश (माही परियोजना के सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय), नियम 1984

निर्णय

दिनांक: 03.7.2025

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या नया 217 व पुराना 185 के खसरा संख्या 1651/149 रकबा 0.16 एयर एवं खाता संख्या नया 218 व पुराना 186 का खसरा संख्या 1672/149 रकबा 0.32 एयर, खाता संख्या नया 257 व पुराना 245 के खसरा संख्या 1650/149 रकबा 0.16 एयर वाके ग्राम चितरोडिया पटवार हल्का झड़स तहसील गढ़ी में स्थित है जिस पर प्रार्थी बरसों से कृषि काश्त कर उपयोग–उपभोग कर रहा है। तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी का मकान भी बना हुआ है जिसमें निवास कर रहा है। उक्त भूमि प्रार्थी विगत 50 वर्षो से उपयोग कर रहा है। कृषि भूमि खसरा संख्या 1651/149 रकबा 0.16 एयर एवं खसरा संख्या 1672/149 रकबा 0.32 एयर भूमि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपना गलत तरिके से कब्जा बताते हुए जबकि उक्त जमीन पर अप्रर्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं तथा कर्मचारियों की गलती से उसके नाम गलत आवंटन कर दिया है तथा खसरा संख्या 1650/149 रकबा 0.16 एयर को अप्रार्थीया संख्या 02 सकु ने कर्मचारियों से मिलीभगत कर तथा वादी को जानकारी दिये बिना उक्त जमीन पर अपना अवैध कब्जा बता कर अपने नाम आवंटन करा लिया है। जबकि उक्त जमीन पर अप्रार्थीया का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा उक्त ... में खसरा नम्बरानों पर वादी का ही कब्जा रहा है तथा उक्त ... पर प्रार्थी का ... तथा बरसों पुराना उसका मकान बना हुआ है। लेकिन उक्त अप्रार्थी द्वारा गलत तरिके से अपना कब्जा बताकर अपने नाम गलत तरिके से आवंटन करा लिया, जो कि उक्त आवंटन निरस्त काबिल है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 द्वारा उक्त भूमि को फर्जी तरिके से बिना अधिकार के अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

नाम आवंटन करवा लिया है। ना ही भविष्य में उनका कब्जा रहा है, ना ही कृषि काश्त किया है, जिसका आवंटन करा दिया है जो गलत है। वस्तुस्थिति यह है कि खाता संख्या नया 217 व पुराना 185 के खसरा संख्या 1651/149 रकबा 0.16 एयर एवं खाता संख्या नया 218 व पुराना 186 का खसरा संख्या 1672/149 रकबा 0.32 एयर, खाता संख्या नया 257 व पुराना 245 के खसरा संख्या 1650/149 रकबा 0.16 एयर भूमि पर प्रार्थी का 50 वर्षो पुराना कब्जा है तथा प्रार्थी पिछले 50 वर्षो से उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है तथा अभी हाल में भी काश्त कर रहा है। तथा अपने रहने के लिए पुराना मकान भी बना हुआ है जिसमें प्रार्थी निवास करता है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 उक्त भूमि पर प्रार्थी को डरा धमकाकर हडपने का प्रयास किया जा रहा है तथा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 सद्भावी कृषक नहीं थे। न ही अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 सद्भावी कृषक है। इसलिए भी आवंटन काबिल निरस्ती योगय है। अप्रार्थीगण ने आवंटन के बाद न तो कब्जा प्राप्त किया है, न कभी काश्त की है एवं उक्त आवंटन मात्र पेपर एलोटमेन्ट है। जिस कारण उक्त आवंटन काबील खारजी के है। अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रार्थी की उक्त भूमि को बिना किसी कारण, सूचना या अधिकार के अपने नाम आवंटन कर दें, न ऐसा कोई दस्तावेज पेष किया है जिस कारण माही एलोटमेन्ट संख्या 15 (5) (4) में **"If it is descovered at any time that any information submitted by any applicant is false to cultivate the land personally the entire land allotted may be resumed by the alloting authority with out payment of comensation-"** जो कि अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 के नाम आवंटन हुआ है काबील निरस्ती के है एवं इसी धारा मे यह भी वर्णित है कि कोई गलत सूचना दी गई हो तो आवंटन खारीज किया जा सकता है। जिस कारण भी अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 का आवंटन काबील निरस्ती है। धारा 13 (ठ) मे यह वर्णित किया गया है कि **"An allottee shall be bound to cultivate whole of the allotted land in two years- On his fairlure to fulfil this condition] the allottment of land shall be liable to cancellation by the allottiong authority-** अप्रार्थी ने आवंटन दिनांक के बाद न तो आवंटित खसरा नम्बर का कब्जा प्राप्त किया है, न कभी काश्त की है व उक्त आवंटन मात्र पेपर एलोटमेन्ट है, जिस कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 के नाम किया गया. उक्त आवंटन काबील निरस्ती है। उक्त आवंटन के सम्बन्ध में कुल दिन पू[illegible] हुई, जिस पर प्रार्थी ने उक्त आवंटन आदेश की नकले प्राप्त की। खाता संख्या नया [illegible] व पुराना 185 के खसरा संख्या 1651/149 रकबा 0.16 एयर [illegible] पुराना 186 का खसरा संख्या 1672/149 रकबा 0.32 एयर, खाता संख्या नया [illegible] व पुराना 245 के खसरा संख्या 1650/149 रकबा 0.16 एयर वाके ग्राम चितरोडिया पटवार हल्का झड़स तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

गढ़ी के अप्रार्थीगण के नाम किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 17 माही कॉलनाईजेशन एक्ट तहत् पेश हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी को उपस्थिती हेतु समुचित अवसर दिये जाने पर अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही के आदेश जारी किये गये। पत्रवाली भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना के जवाब हेतु कायम की जाने पर भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना द्वारा जवाब पेश कर अवगत कराया कि राजस्व ग्राम चितरोडिया पं.स. झड़स की जमाबन्दी संवत् 2075–78 के खाता संख्या सं. 217 के खसरा सं. 1651/149 हे0 भूमि किस्म–मगरी लगानी 0.44 रू. की भूमि कमला पत्नि रावजी भील सा. देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। जो जरिये ना.सं. 205 दिनांक 02.09.2002 से गैर खातेदार में दर्ज हुई है। ना.क. अनुसार आवंटन दिनांक 06.4.2002 है। आ.न. 1672/149 रकबा 0.32 हे. किस्म मगरी लगानी 0.87 रू. की भूमि कमा पत्नि रावजी भील सा. दैह गैर खातेदार के नाम (खाता संख्या 218 जमाबन्दी 2075–78) दर्ज रेकार्ड है जो जरिये ना. सं. 235/06/2005 द्वारा गैर खातेदारी दर्ज हुआ है। आवंटन दिनांक 10/28.11.2004 है। आ.न. 1650/149 रकबा 0.16 हे0 किस्म–मगरी लगानी 0.14 रू. सकू पत्नि भेरा भील सा. देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड हैं (जमाबन्दी खाता 257 संवत् 2075–78) उक्त भूमि जरीये ना.सं. 204/02.902002 गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई है। आवंटन दिनांक 05/4.6.2002 है। उक्त तीनो आराजी नं. की मौका जांच मोतबिरान से पूछताछ एवं मौका जांच की जांच में ज्ञात आया कि मौके पर तीनों आ.न. 1650/149, 1651/149, 1672/149 रकबा क्रमशः 0.16 हे0, 0.16 हे0, 0.32 हे0 भूमि पर वादी देवजी पिता हेमा काबिज होकर कृषि हेतु कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा है। वक्त मौका जांच मोतबिरान् के रूबरू ज्ञात आया कि आ.नं. 1651/149 रकबा 0.16 भूमि किस्म मगरी में देवजी द्वारा अपने रहवास हेतु रद्दे का कच्चा, अंग्रेजी कवेलूपोश से ढ़का मकान बना कर स्वयं निवासरत है। आ.नं. 1650/149 रकबा 0.16 हे0 भूमि में देवजी द्वारा अपने पुत्र (जगदीश) के निवास हेतु पक्का ईट–गर्डर पट्टी युक्त मकान बनाया है। जिसमें जगदीश सपरिवार निवास कर रहे है। शेश बची आ.नं. की भूमि में कृषि कार्य देवजी पिता हेमा द्वारा किया जाकर देवजी के ही कब्जे में है। आवंटि कृषकों का कब्जा नहीं है। मोतबिरान ने वक्त मौका पर्चा जाहिर किया कि आवंटि कृषक कमा पत्नि रावजी, कमला पत्नि रावजी एवं सकू पत्नि भेरा जाति भील उक्त भूमि में आदिनांक तक काबिज नहीं रहे है। मौके पर वादी देवजी पिता हेमा भील नि[illegible]या का ही कब्जा है। आवंटि कमा पत्नि रावजी एवं कमला पत्नि रावजी एक ही [illegible] होकर पृथक–पृथक वर्ष में आवंटन हुआ होना बताते हुए जांच रिपोर्ट मय तीनों खसरा [illegible] के आवंटन के समय दर्ज ना.सं. 204, 205 एवं 235 एवं तीनों खातो की नकले म[illegible] नक्शा ट्रेस संलग्न कर पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की धारा 20 काश्तकारों के लिए अतिरिक्त प्रसंविदायें :– यदि अनुदान कृषि प्रयोजन के रूप में हो, तो अनुदानग्रहीता, चाहे गैर– खातेदारी काश्तकारी के रूप में या खातेदारी अधिकारों के प्रदान किये जाने से, निम्नलिखित अतिरिक्त बाध्यताओं से आबद्ध होगा तथा रहेगा और उनके सम्यक् सम्पादन तथा पालन करने के लिए एक प्रसंविदा किया हुआ होना समझा जायेगा :–

(1) भूमि की क्षति – भूमि का इस रूप में उपयोग, काश्त या प्रबन्ध न करना, जिससे कि वह कृषि प्रयोजन के अनुपयुक्त हो जाये।

(2) अनुदान के प्रारम्भ की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अनुदान के कृषि योग्य क्षेत्र के एक तिहाई भाग को काश्त के अधीन लाना तथा उसके बाद सदैव आधे क्षेत्र को काश्त के अधीन रखना :

[2][परंतु सभी प्रकार के नये आवंटी, जैसे भूतपूर्व जागीरदार, भूमिहीन काश्तकार, भूमिपूर्व सैनिक, निष्कासित मुसलमान, ग्राम पंचायतें, निर्योग्य भूतपूर्व सैनिक, तथा भूतपूर्व प्रतिरक्षाकर्मियों के आश्रित, राजनैतिक पीड़ित, शौर्य पुरस्कार धारक, भाखड़ा (पंजाब) के घोषित भूमिहीन काश्तकार, विस्थापित कृषक या बहिष्कृत किए गए व्यक्ति, गाडोलिया लोहार एवं आंवटियों के समस्त अन्य विशेष प्रवर्ग, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा नियत मूल्य पर उपनिवेश में भूमि आवंटित की जा चुकी है या आंवटित की जानी है, कब्जा सौंपे जाने की तिथि के दो वर्ष के भीतर आवंटित की गई समस्त भूमि को अधिभोग में लेने और उस पर काश्त करने के लिए आबद्ध होंगे। यदि दो वर्ष के भीतर भूमि पर काश्त नहीं की जाती है, तो आवंटी को भूमि को काश्त के अधीन लाने के लिए एक सूचना जारी की जायेगी और तब भी यदि भूमि पर कलक्टर के समाधान स्वरूप तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि पर काश्त नहीं की जाती है, तो आवंटन प्राधिकारी द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा और भूमि किसी प्रतिकर का संदाय किए बिना राज्य सरकार को पुनर्ग्रहित हो जाएगी :

राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1984 के नियम :–

13 (ख) आवंटी सम्पूर्ण आवंटी भूमि को दो वर्ष के भीतर काश्त करने के लिए आबद्ध होगा। इस शर्त को पूर्ण करने में उसके विफल रहने पर भूमि का आवंटन, आवंटन प्राधिकारी द्वारा रद्द किये जाने के लिए दायी होगा और आवंटन के रद्दकरण पर ऐसी भूमि विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार को वापस हो जायेगी तथा आवंटी किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

15 (4) (iv) यदि किसी समय यह प्रकट हो कि किसी आवेदक द्वारा दी गई कोई सूचना असत्य है या कोई आवंटी भूमि पर व्यक्तिगत रूप से काश्त करने में विफल रहा है, तो आवंटित सम्पूर्ण भूमि प्रतिकर का संदाय किये बिना आवंटन प्राधिकारी द्वारा पुनर्ग्रहीत की जा सकेगी।

17. आवंटन का रद्दकरण :– (1) यदि किसी सम[illegible]ह प्र[illegible]हो कि इन नियमों के अधीन किया गया सरकारी भूमि का कोई आवंटन आवंटी द्वारा [illegible] किये गये आवेदन में या किसी अन्य दस्तावेज में तथ्यों के गलत कथन पर हुआ हो तो आवंटन प्राधिकारी, ऐसे आवंटन को रद्द करने का आदेश दे सकेगा और किसी प्रतिकर का संदाय किये बिना भूमि में पुनः प्रवेश करने तथा उसका कब्जा लेने का कोई भी आदेश दे सकेगा :

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र व संलग्न दस्तावेज तथा भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेज एवं अधिनियम/नियमों के अवलोकन से यह साबित होता है कि अप्रार्थी कमला पत्नि रावजी, कमा पत्नि रावजी व सकु पत्नि भेरा जाति भील को पटवार हल्का झड़स के मौजा चितरोडिया की भूमि खसरा संख्या क्रमशः 1651/149 रकबा 0.16 हे0 किस्म-मगरी, खसरा 1672/149 रकबा 0.32 हे0 किस्म-मगरी एवं खसरा संख्या 1650/149 रकबा 0.16 हे0 किस्म-मगरी भूमि आवंटित हुई थी। जिस पर आवंटी का कब्जा नहीं है। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से आवंटन खारिज किया जाता है। खसरा संख्या 1651/149 रकबा 0.16 हे0 किस्म-मगरी, खसरा 1672/149 रकबा 0.32 हे0 किस्म-मगरी एवं खसरा संख्या 1650/149 रकबा 0.16 हे0 किस्म-मगरी भूमि मौजा चितरोडिया को पुनः सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तथा तहसीलदार अरथूना को निर्देशित किया जाता है कि मौजा चितरोडिया के खसरा संख्या 1651/149 रकबा 0.16 हे0, खसरा 1672/149 रकबा 0.32 हे0 एवं खसरा संख्या 1650/149 रकबा 0.16 हे0 भूमि कब्जे राज लियाजाय।

निर्णय आज दिनांक 03.7.2025 को सुनाया गया।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner